फर्द अहकाम

रामचन्द्र बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण वगै0

ना पत्र संख्याः 125/2023

या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25.04.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। प्रार्थ्री ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि हाल खसरा नम्बर 288 रकबा 0.02 हैक्टयर गैर मुमकिन खाडा, गत खसरा नम्बर 115 रकबा 0.32 हैक्टयर गैर मुमकिन आबादी से बना है भूप्रबन्ध विभाग द्वारा लापरवाही बरतकर उक्त वर्णित भूमि की किस्म मनमर्जी से गैर मुमकिन आबादी से बदलकर गैर मुमकिन खाडा दर्ज कर दी गयी जो कि गलत एव विधि विरूद्व है। ग्राम पंचायत महापुरा द्वारा प्रार्थी के पिता देवबक्स एवं चाचा रामनारायण के नाम आबादी भूमि का पटटा जारी किया था, पटटे मे पश्चिम दिशा मे बाडा गौर मवेशी पटटेधारी अकित है जो हाल खसरा नम्बर 288 रकबा 0.02 हैक्टयर की भूमि है, प्रार्थी हाल खसरा नम्बर 288 रकबा 0.02 हैक्टयर भूमि को बाडा गौर मवेशी व रहवास के रूप में निरन्तर पूर्वजो के काल से उपयोग उपभोग करता आ रहा है। भू–प्रबन्ध विभाग को भूमि की किस्म बदलने का हक अधिकार नही है हाल खसरा नम्बर 288 रकबा 0.02 हैक्टयर मे गलत अकित भूमि की किस्म गैरमुमकिन खाडा को बदलकर पूर्व राजस्व रिकार्ड की भाती गैर मुमकिन आबादी अकित किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णितानुसार संशोधन हेतु अप्रार्थीगण को दिनाक 01.08.2023 को निवेदन किया तो उन्होने कहा कि आप सक्षम न्यायालय मे आवेदन कर संशोधन करवा लेवे तब माननीय न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मये शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हाल खसरा नम्बर 288 रकबा 0.02 हैक्टयर मे गलत अकित भूमि की किस्म गैरमुमकिन खाडा को संशोधत कर पूर्व राजस्व रिकार्ड के अनुसार गैर मुमकिन आबादी अकित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे । प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली में बहस अधिवक्ता प्रार्थी पत्रावली में सुनी गयी। दौराने वहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 288 रकवा 0.02 हैक्टयर मे गलत अकित भूमि की किस्म गैरमुमकिन खाडा को संशोधत कर पूर्व राजस्व रिकार्ड के अनुसार गैर मुमकिन आवादी अकित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे । उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

रामचन्द्र बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण वगै0

प्रार्थना पत्र संख्याः 125/2023

बहस अधिवक्ता प्रार्थी व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम नृहिसपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 288 रकबा 0.02 हैक्टयर मे गलत अंकित भूमि की किस्म गैरमुमकिन खाडा को संशोधत कर पूर्व राजस्व रिकार्ड के अनुसार गैर मुमकिन आबादी अंकित करने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)